

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

अधिसूचना सं० 10 (आरई-2012)/2009-2014
नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त, 2012

सां. आ. (अ) विदेश व्यापार नीति-2009-14 के पैराग्राफ 1.3 और पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, 2009-14 की अनुसूची 1 (आयात) को निम्नानुसार संशोधित करती है :-

एजिम कोड	मद विवरण	नीति	नीति की शर्तें
	सुपारी:		
08028010	साबुत	मुक्त	बशर्ते कि लागत बीमा भाड़ा मूल्य 75/- रूपए प्रति किग्रा. और अधिक हो।
08028020	टूटी हुई	मुक्त	बशर्ते कि लागत बीमा भाड़ा मूल्य 75/- रूपए प्रति किग्रा. और अधिक हो।
08028030	पिसी हुई	मुक्त	बशर्ते कि लागत बीमा भाड़ा मूल्य 75/- रूपए प्रति किग्रा. और अधिक हो।
08028090	अन्य	मुक्त	बशर्ते कि लागत बीमा भाड़ा मूल्य 75/- रूपए प्रति किग्रा. और अधिक हो।

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

आयात के लिए न्यूनतम मूल्य को मौजूदा 35/- रूपए प्रति किग्रा. से बढ़ाकर 75/- रूपए प्रति किग्रा. कर दिया गया है।

(अनुप के. पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेल: dgft@nic.in

(फाइल संख्या 01/89/180/0043/एएम-01/पीसी-2(ए)(खण्ड-II से जारी)